प्रेस विज्ञप्ति
03.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी आर्यन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2025 को मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। आर्यन सिंह को 03.09.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, साइबराबाद द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने अपने निवेश पर उच्च रिटर्न के बहाने भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' के नाम और तरीके से निवेशकों को इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के बहाने लालच दिया और बदले में डिस्काउंट किए गए इनवॉइस पर आधारित रिटर्न का वादा किया, लेकिन उनकी निवेशित राशि वापस नहीं की। अमरदीप कुमार इस घोटाले का मास्टरमाइंड था और उसने निवेशकों से जमा राशि प्राप्त करने के लिए फाल्कन इनवॉइस ऐप विकसित किया था। ईडी की जाँच से पता चला कि वास्तव में, इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कोई कारोबार नहीं किया गया था और आरोपियों ने निवेशकों से लगभग 792 करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में आर्यन सिंह, मास्टरमाइंड अमरदीप कुमार के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी वाली "फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग" योजना के संचालन का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रहा था। हालाँकि आर्यन सिंह को इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, फिर भी उसने बेखबर निवेशकों को इस योजना में फँसाया। आर्यन सिंह ने कर्मचारियों की एक टीम का प्रबंधन किया, जिन्होंने न केवल धोखाधड़ी वाले व्यवसाय को बढ़ावा दिया, बल्कि निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए उनसे बातचीत भी की। उसने अमरदीप कुमार को निवेशित धन को दूसरी जगह भेजने में भी मदद की और अपने पाँच निजी बैंक खातों के साथ-साथ अपनी संस्था 'कराओई (ओपीसी)' के बैंक खाते में 2.88 करोड़ रुपये की अपराध की आय प्राप्त करके व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हुआ।

ईडी ने पहले इस मामले में एक हॉकर 800 ए विमान जब्त किया था; 18.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं और संदीप कुमार (मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार के भाई) और चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल को गिरफ्तार किया था।

आगे की जांच जारी है।